अध्याय प्रथम

शोध विषय का परिचय

अध्याय प्रथम

शोध विषय का परिचय

१.१ प्रस्तावना

समावेशी शिक्षा का तात्पर्य न केवल दिव्यांग अथवा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों तथा सामान्य छात्रों के एक साथ एक कक्षा में बैठने से है, अपितु सही अर्थ में एक कक्षा तब समावेशी कहलाएगी जब उसको शिक्षा वितरित करने वाला शिक्षक सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनके अनुरूप शिक्षक विधियों अथवा प्रविधियों का उपयोग करे तथा उन सभी योजनाओं, नीतियों व अधिनियमों की भी जानकारी हो जो उसे शिक्षा के बारे में जानकारी देते है।

समावेशी शिक्षा वह शिक्षा व्यवस्था है जहां विशेष आवश्यकता वाले छात्रों अथवा दिव्यांग को सामान्य छात्रों के साथ एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है तथा विशेष छात्रों की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाते है।

सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है तथा छात्रों के मूल्यांकन हेतु छात्रों की क्षमता के अनुरूप लिखित, मौखिक तथा अन्य विधियों का प्रयोग किया जाता है।

शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है।

पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए।

समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़े पुरानी है। प्राचीन शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है।

समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं है। दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने के अधिकार है।

समावेशी शिक्षा एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी भेदभाव व अंतर के समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाती है। ताकि समाज के प्रत्येक बालकों को एक स्तर पर लाया जा सकता है।

वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की बात का समर्थन करती है। एक मायने में सर्वशिक्षा जैसे शब्दों का ही रूपांतरित रूप है जिसके कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा।

समावेशी शिक्षा की सिर्फ अक्षम बच्चों को ही जरूरत नहीं है, वह एक सामान्य बच्चों का भी व्यक्तित्व विकास करती है, यह शिक्षा सामान्य बच्चों में धैर्य, क्षमा, सहयोग,सहिष्णुता नि:स्वार्थ जैसे उच्च मानवीय गुणों की वृद्धि में सहायक होती है।

समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बाधित छात्र को अनुकूल पर्यावरण में सार्थक शिक्षा प्रदान करने से है। ताकि उनका समुचित विकास हो और वे जीवन मार्ग पर सफल हो सके, चल सके और अपनी क्षमता के अनुसार दौड़ लगा सके।

शिक्षा का संबंध मनुष्य की संज्ञात्मक, भावनात्मक एवम् सामाजिकता के उन्नयन से है। जीवन में शिक्षा की इतनी अधिक उपयोगिता है कि कहा गया है "बिना शिक्षा के मनुष्य पशु के समान है।" (निरुपमा २०१०)

बार्टन एवम् आर्मस्ट्रांग, २००७

"अक्षम व्यक्तियों हेतु समान अवसरों को उपलब्ध कराने संबंधी सयुंक्त राष्ट्र के मानक नियमो १९९३ के अनुसार "सभी देश समानता के सिद्धांतो को समझे से प्रभावित बच्चों, किशोरों तथा वयस्कों की समकालित परिवेश में शैक्षणिक अवसर प्रदान करे। वे सभी अक्षमताग्रस्त बच्चों के लिए शिक्षा के मानक को सुनिश्चत करे।"

फूरियन २००९ के अनुसार,"ऐसी शिक्षण पद्धति जो सभी सीखने वालो को समाहित करती है, वह सीखने तथा सीखने के ऐसे सिद्धांतो पर आधारित रहती है जो अभाव और अंतर देखने वाले भेदभावपूर्ण नजरियों को तथा योग्यता के बारे में निश्चयात्मक दृष्टियों को अस्वीकार करते है, बल्कि वे व्यक्तियों की भिन्नता को मनुष्य की स्थिति का हिस्सा मानते है"।

समावेशी शिक्षा में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते है अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक, प्रतिभाशली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनायी जाती है। यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो यह तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवतापुर्ण शिक्षा मिले और इसमें उनकी योग्यता, शारीरिक क्षमता, भाषा संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी प्रकार का अवरोध पैदा ना कर सके। (भार्गव २०१६)

१.२ अध्ययन की आवश्यकता

"समावेश करना तथा बाहर रखना सर्वत्र एक समान श्रेणियां नहीं होती। हर स्थिति अपने खुद के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैश्विक तथा संदर्भगत प्रभावों के द्वारा निर्मित की जाती है।"

"हर घर में हो साक्षरता का वास, तभी तो होगा देश का विकास" किसी भी विकसित या विकासशील देश की सबसे बड़ी ताकत होते है उस देश के युवा और बच्चें।

सही मायनों में बच्चे ही देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत होते है क्योंकि बच्चें ही तो बड़े होकर युवा बनते है और अपने ज्ञान द्वारा देश को आगे बढ़ाते है। अगर बचपन में ही वो शिक्षा से वंचित रह जाय या सही शिक्षा अर्जित ना कर पाए तो आप सोच सकते है उस देश का भविष्य कैसा होगा।

प्राचीन काल से ही हमारा देश विश्व गुरु रहा है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्व प्रख्यात शिक्षा संस्थानों का भारत जन्म दाता रहा है। इस दिशा में काफी प्रयत्न किए जा रहे है और हम उन्नति की ओर अग्रसर है।

बहुत से बच्चे पढ़ाई से वंचित हो गए और साक्षरता दर कम हो गई है। इसी में सुधार करने के लिए और सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए भारत सरकार द्वारा RTE २००९ ACT पारित किया गया।

समावेशी शब्द का प्रचलन १९९० के दशक के मध्य से बढ़ा जब १९९४ में सलमांका (स्पेन) में यूनेस्को द्वारा विशेष शैक्षिक आवश्यकता पर विशेष विश्व सम्मेलन सुलभता और समता का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में ९२ सरकारों और २५ अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया।

सलमांका अनुसार, प्रत्येक बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार है तथा शैक्षणिक व्यवस्था को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों को इस प्रकार क्रियान्वित किया जाना चाहिए जिससे रुचियों, योग्यताओं तथा अधिगम आवश्यकताओं वृहद भिन्नता को पूरा किया जा सके।

१९९४ में समावेशी शिक्षा के सिद्धांतो का निर्धारण स्पष्ट रूप से किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष २००१ को एक प्रस्ताव पारित करके अक्षमता से प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारियों तथा सम्मान के संरक्षण एवम् प्रोत्साहन को विकसित करने के लिए एक अस्थाई समिति गठन कि।

१३ दिसंबर २००६ को सर्वसम्मति से समारोह का अंतिम प्रारूप पारित किया। इस समरोह का उद्देश्य सभी दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा उनके सभी मानवाधिकारों को पूर्ण करने हेतु इन अधिकारों को पूर्ण एवम् समान रूप से प्राप्त करने के लिए इन अधिकारों को प्रोत्साहित संरक्षित एवम् सुनिश्चित करना। इसे अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करके प्राप्त किया जा सकता हैं यह समारोह अक्षम व्यक्तियों के प्रति दृष्टिकोण में प्रतिमान परिवर्तन को दर्शाता है।

RTE ACT २००९

शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। इसे नि:शुल्क एवम् अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम भी कहा जाता है। यह १ अप्रैल २०१० से प्रभावी हुआ।

नि:शुल्क एवम् अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम २००९ भारत सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए ६ अधिकारों में से एक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत लागू किया गया एक प्रावधान है। इस एक्ट के

अनुसार ६-१४ वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त है।

RTE ACT लागू होने के बाद भारत भी उन देशों की सूची में सम्मिलित हो गया है। जहां बच्चों के लिए अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान है।

RPWD ACT 2016 इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न विकलांगता के प्रकार को बढ़ाया गया है और इसके साथ-साथ अतिरिक्त लाभों का भी प्रावधान किया गया है।

नए RPWD ACT में २१ अक्षमताओं की पहचान कर उन्हें सूची में रखा है। इससे पहले पुराने विधेयक में सिर्फ ७ अक्षमताओं को ही अक्षमता श्रेणी में रखा गया था।

इस नए कानून के अंतर्गत दिव्यांग के विरूद्ध होने वाले अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रावधान और इन प्रावधान के उल्लंघन के कड़े प्रावधान किए गए है।

इस नियम में कई विशेषताएं है, जिसमें दिव्यांग को ज्यादा अवसर, समानता और सुविधाओं तक पहुंच हासिल हो सकेगी।

सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करना जरूरी है किसी भी बच्चे को उसकी नि: शक्तता के आधार पर शिक्षा देने से मना नहीं कर सकते। इस संदर्भ में समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों कि जागरूकता और अभिवृत्ति का अध्धयन करने की आवश्कता है।

अतः समावेशी शिक्षा एक शुरुआत है जिसमें शिक्षकों कि महत्वपूर्ण भूमिका है।

शिक्षक ही समावेशी शिक्षा के लिए प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए उत्तरदाई होते है। इसलिए इस अध्धयन में शिक्षक की समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता और अभिवृत्ति का अध्धयन करने की आवश्यकता महसूस की गई।

१.३ समस्या कथन

समावेशी शिक्षा के प्रति प्राथमिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति का अध्ययन।

१.४ अध्ययन में प्रयुक्त कारकों की तकनीकी

परिभाषा

जागरूकता समावेशी शिक्षा के स्वरूप और योजना के प्रति जानकारी होना। अभिवृत्तियों शिक्षकों का समावेशी शिक्षा के प्रति रुझान।

समावेशी शिक्षा – समावेशी शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य भागीदारी प्रदान करने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना ताकि उनमें भी आत्मविश्वास जागृत हो सके एवम् वे आत्मनिर्भर बन सके।

१.५ अध्ययन के उद्देश्य

१. विद्यालय प्रबंधन के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्राथमिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

२. लिंग के आधार पर समावेशी शिक्षा के प्रति प्राथमिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

३. प्रशिक्षण के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

१.६ परिकल्पना

१. समावेशी शिक्षा के प्रति विद्यालय प्रबंधन के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

२. समावेशी शिक्षा के प्रति लिंग के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

३. समावेशी शिक्षा के प्रति प्रशिक्षण के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों की जागरूकता और अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है।

१.७ समस्या का सीमांकन

१. प्रस्तुत शोध कार्य मध्य प्रदेश के भोपाल के शहरी विस्तार तक सीमित है।

२. प्रस्तुत शोध कार्य ४ शासकीय एवं ४ अशासकीय विद्यालयों में किया गया है।

३. प्रस्तुत शोध कार्य प्राथमिक शिक्षकों पर किया गया है।

४. प्रस्तुत शोध कार्य प्राथमिक शिक्षकों की समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता और अभिवृत्ति के संबंध में किया गया है।